कार्यालय नगर विकास न्यास, सीकर

सर्किट हाउस के पास, जयपुर रोड़, सीकर–332001
ई–मेल uit.sikar@rajasthan.gov.in, फोन नं. 01572–245057

क्रमांकः– नविन्यास/नियमन/2024–25/00667 दिनांकः– 03.12.2024

प्रेषितीः–
श्री जगदीश सिंह पुत्र श्री राजूराम
जाति जाट निवासी ग्राम दासा की ढ़ाणी,
तह. व जिला सीकर।

विषयः– राजस्व ग्राम खिचड़ों का बास तह. सीकर के खसरा नम्बर 927/265 रकबा 0.4800 है. भूमि में रामा विहार आवासीय योजना के अनुमोदन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा राजस्व ग्राम खिचड़ों का बास तह. सीकर के खसरा नम्बर 927/265 रकबा 0.4800 है. भूमि में रामा विहार आवासीय योजना को टाउनशिप पॉलिसी 2010 की पालना सुनिश्चित करते हुए निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन विकसित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

1. रेरा (RERA) में रजिस्ट्रेशन करवाने के उपरान्त ही भूखण्डों का विक्रय/बेचान किया जावे।
2. योजना संलग्न अनुमोदित मानचित्रानुसार ही विज्ञ तकनिकीविद की देख–रेख में विकसित की जावेगी। सर्वप्रथम अनुमोदित प्लान अनुसार सम्पूर्ण योजना के चारों और सुरक्षा दिवार बनायी जाकर न्यास को सूचित करना होगा।
3. समस्त विकास कार्य टाउनशिप पॉलिसी 2010 के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही किये जाने होगें तथा नियमों की कठोरता से पालना की जानी आवश्यक है।
4. वाटर ड्रेनेज, ओवर हैड टैंक एवं सीवरेज लाईन हेतु राशि न्यास कोष में जमा करवाई गई है।
5. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार 2.00 है. तक की योजनाओं के लिए 18 माह की अवधि आन्तरिक विकास कार्यों के लिए निर्धारित है।
6. योजना का अनुमोदित मानचित्र योजनास्थल पर बड़े पटल पर प्रदर्शित करना होगा।
7. भू–खण्डों का सीमांकन किया जाकर भू–खण्ड संख्या अंकित किया जाना होगा।
8. योजना में वृक्षारोपण भवन विनियम 2020 के अनुसार ही किया जाना होगा।
9. आन्तरिक विकास कार्यो के एवज में 12.50 प्रतिशत (भूखण्ड संख्या 13, 16 व 17 कुल भू–खण्ड–7) भू–खण्डों का न्यास के पक्ष में रहननामा सम्पादित किया गया है एवं इस आशय का एक बोर्ड भी योजना में चस्पा किया जाना आवश्यक है।
10. विकासकर्ता को सम्पूर्ण कार्य होने के उपरान्त 3 वर्ष तक Maintenance किया जाना आवश्यक होगा। (Maintenance charges may be recovered by developer from the allotees).
11. बोरिंग/ट्यूबवेल/पाईपलाईन को नियमानुसार पी.एच.ई.डी. को हस्तान्तरण (Hand over) किया जाना होगा।
12. योजना में विद्युतिकरण का कार्य स्टेट इलेक्ट्रीसिटी रूल्स के निर्धारित मापदण्डानुसार किया जाकर ए.वि.वि.एन.एल. को हस्तान्तरण किया जाना होगा।

संलग्नः– अनुमोदित योजना मानचित्र।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
सचिव,
नगर विकास न्यास, सीकर

RajKaj Ref
12183572

Signature valid
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Designation : Secretary
Date: 2024.12.03 15:59:58 IST
Reason: Approved

LAYOUT PLAN OF - RAMA VIHAR *AAVASIYA YOJANA*
KHASRA NO. 927/265 , 0.4800 हैक्ट.
REVENUE VILL. -KHICHADO KA BAAS, GOKULPURA, DIST. SIKAR (RAJ.)
FOR- 90A AND RESIDENTIAL CONVERSION
APPLICANT :- जगदीश सिंह पुत्र राजूराम, जाति जाट, निवासी दासा की ढाणी, गोकुलपुरा, सीकर।

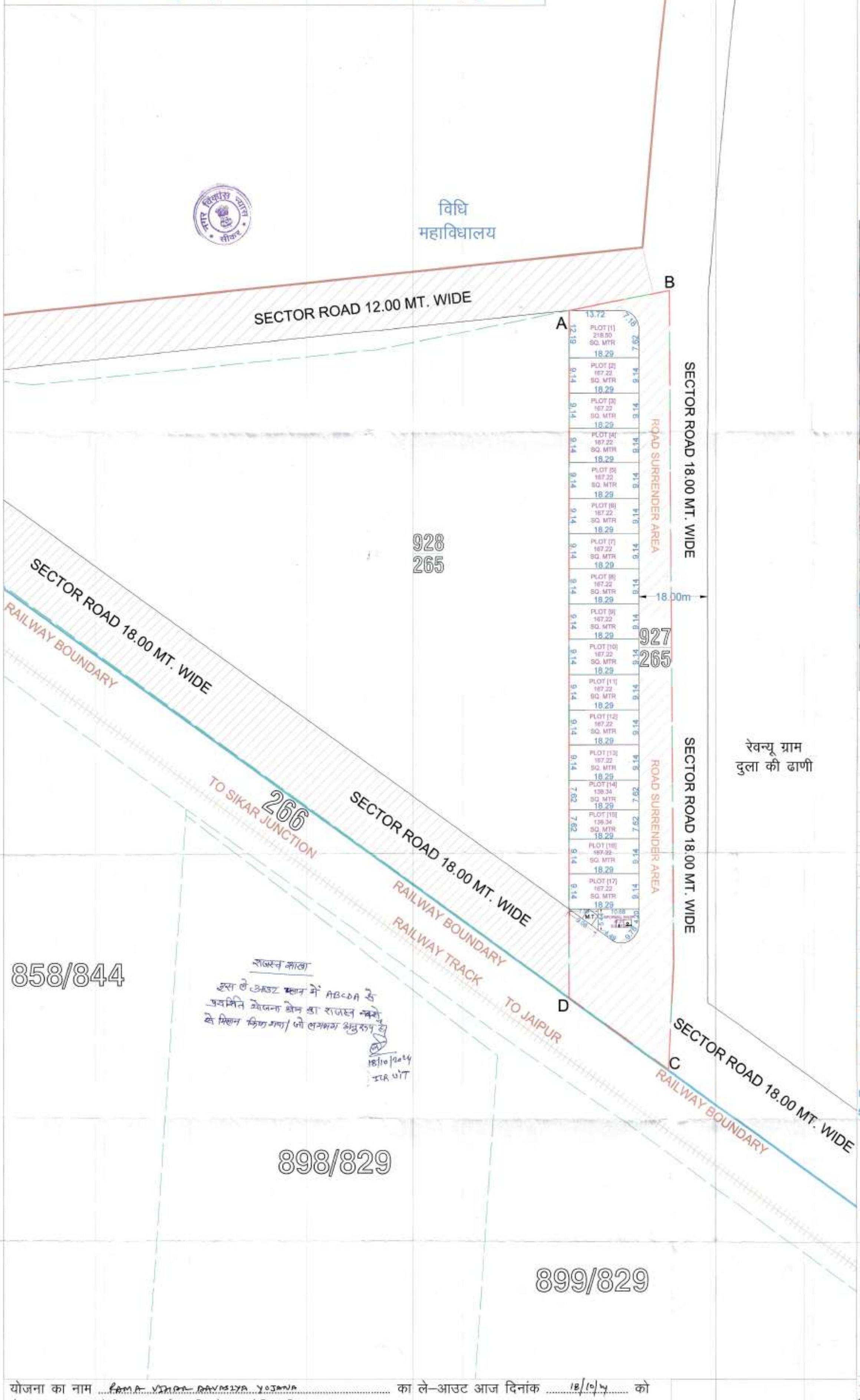

URBAN IMPROVEMENT TRUST
SIKAR

KEY PLAN
(Not To Scale)

GOOGLE EARTH MAP IMPOSING

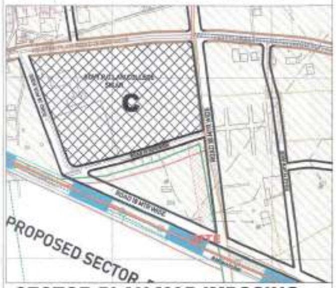

SECTOR PLAN MAP IMPOSING

AREA ANALYSIS

S.N.	LAND USE	AREA (SQ.MTR)	%
1	RESIDENTIAL	2838.27	59.13 %
2	ROAD & SURRENDER AREA	1859.80	38.75 %
3	INFORMAL COMMERCIAL	81.21	1.69 %
4	MOBILE TOWER	20.64	0.43 %
	TOTAL AREA	4800.00	100 %

SCHEME PLOTS DETAIL

	PARTICULARS	NO.
1	RESIDENTIAL PLOTS	17
2	INFORMAL COMMERCIAL	01
3	MOBILE TOWER	01

LEGEND

- KHASRA LINE
- SCHEME BOUNDARY
- PLOT BOUNDARY
- RAILWAY BOUNDARY
- OTHER KHASRA BW
- RAIL TRACK
- SURRENDER ROAD
- 18M Road WIDE
- 12M Road WIDE

NOTE : ALL DIMENSIONS ARE IN MTR.

SCALE 1CM=5MT

योजना का नाम RAMA VIHAR AAVASIYA YOJANA का ले–आउट आज दिनांक 18/10/24 को लेआउट प्लान कमेटी द्वारा सर्वसम्पति से अनुमोदित किया गया ।

उप नगर नियोजक
नगर सुधार न्यास
सीकर

18/10/24

18.10.2024
सचिव
नगर विकास न्यास, सीकर

TOTAL AREA IN KH. NO. 927/265 = 4800.00 SQ.MTR
PROPOSED RESIDENTIAL SCHEME AREA= 4800.00 SQ.MTR

COMBINED GROUP
CONSTRUCTIONS & CONSULTANCY
(Civil Engineers, Architect, Surveyor)
Opposite Dist. Court, Sikar (Rajasthan)
Mob: 9694978584 ,9694488584
Email: cgcsikar@gmail.com